सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र
इन्फोसिटी, गांधीनगर

दिनांक: अप्रैल १६, २०२४

कार्यालय आदेश

विषय: हिंदी समिति के पुनर्गठन के संदर्भ में।

राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार तथा कार्यालय में हिंदी भाषा के आधिकारिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी समिति के गठन के संदर्भ में जारी किए गए पिछले सभी कार्यालय आदेशों को निरस्त करते हुए, केंद्र में हिंदी भाषा के आधिकारिक उपयोग को बढ़ावा देने तथा विविध कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु हिंदी समिति का पुनर्गठन किया जाता है।

पुनर्गठित हिंदी समिति में निम्नलिखित सदस्यों को नामित किया जाता हैं।

१. निदेशक, अध्यक्ष
२. श्री गौरव प्रकाश, वैज्ञानिक - सी (संगणक विज्ञान), सदस्य
३. डॉ. मितेषकुमार पंड्या, वैज्ञानिक - सी (ग्रंथालय विज्ञान), सदस्य
४. डॉ. सुरभि, वैज्ञानिक - सी (ग्रंथालय विज्ञान), सदस्य
५. श्री हरीश चंद्र, प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक एवं प्रशासन), सदस्य सचिव

हिंदी समिति के सदस्य निम्नलिखित कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे।

- केंद्र में संचार, प्रलेखन और अन्य गतिविधियों में हिंदी भाषा के प्रचार और उपयोग के लिए नीतियों और दिशानिर्देशों का निर्माण करना।
- कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करना जिससे हिंदी में उनकी दक्षता बढ़ाई जा सके।
- हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी संस्थाओ / निकायों से मार्गदर्शन प्राप्त करना और भाषा विशेषज्ञों सहित बाहरी विशेषज्ञों के साथ संपर्क करना तथा उनसे आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करना।
- हिंदी समिति के सदस्य सचिव प्रत्येक तिमाही में समिति की बैठक आयोजित करेंगे और सभी बैठकों का कार्यवृत तैयार करेंगे। समिति के सदस्य सचिव यह भी सुनिश्चित करेंगे कि केंद्र में हुए त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित विभाग में प्रस्तुत किया जाए।

हिंदी समिति के सदस्य सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि राजभाषा अधिनियम १९६३ की धारा ३ के अंतर्गत जारी होने वाले सभी प्रलेख यथा सामान्य आदेश (General Orders), कार्यालय आदेश (Office Orders), ज्ञापन (Memorandum), संकल्प (Resolutions), अधिसूचनाएं (Notifications), नियम (Rules), प्रशासनिक प्रतिवेदन (Administrative Report), समझौता पत्र (Agreement), समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding), प्रेस विज्ञप्तियां (Press Communications) अनुज्ञप्ति (License), अनुज्ञा-पत्रों (Permits), सूचना पत्र (Notices), निविदा-प्रारुपों (Form of Tenders) इत्यादि आवश्यक रूप से द्विभाषी (हिन्दी तथा अंग्रेजी में) होने चाहिए।

सभी संबंधित प्रभागों और कर्मचारियों को हिंदी समिति के अधिदेश को पूरा करने में अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन देने का निर्देश दिया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आचार्य देविका माडल्ली
निदेशक

प्रतिलिपि,
१. हिंदी समिति सदस्यगण,
२. सूचना पट्ट
३. इंट्रानेट / वेबसाइट